



2026:AHC-LKO:8093-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - सी संख्या - 267 सन 2026**

विनोद कुमार सिंह

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग

लखनऊ एवं 8 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : धीरेंद्र कुमार अवस्थी**प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :** मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सूर्य प्रकाश सिंह

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय****माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. सुनवाई हुई।
2. श्री शैलेंद्र कुमार, कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत, बखशी का तालाब, लखनऊ उपस्थित हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. नगर पंचायत के विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्य प्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिसकर्मियों की सहायता से अतिक्रमण हटा दिया गया है और इस संबंध में आज एक शपथ-पतारा दाखिल किया गया है जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।
4. संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पुनः अतिक्रमण न हो।
5. तदनुसार, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फरवरी 3, 2026

शानू/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।